2021/39 BDO रानी / ग्राम पंचा. रानीकलां ② पाली A70

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.:— 16 / 2021 बअनवान विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी बनाम सरपंच ग्राम पचांयत रानीकला व अन्य	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11-06-2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया। नियम 157(1) के तहत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकान का ही इस नियम के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जा सकता है। जैरं निगरानी पट्टे की राशि 4,98,320 / —रूपये है, जिसका राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154 के अनुसार जमीन का विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना था। साथ ही जैर निगरानी भूखण्ड पर वर्तमान में कोई पक्का या कच्चा झोपडा / मकान नहीं बना हुआ है एवं उक्त भूखण्ड पर किसी का रहवास भी नहीं है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईश्तहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। इस कारण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 06.07.2020 एवं प्रस्ताव संख्या 17 दिनांक 20.08.2020 के द्वारा खारिज करने की अनुशंषा की है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जैर निगरानी पट्टा महेंन्द्र कुमार पुत्र भैरूलाल बंजारा रानी को बेचान कर दिया है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी निगरानी पेश नहीं कर सकता, पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत एक अपील ऑथोरिटी होती है। प्रार्थी ने कथन किया कि	

अति. जिला कलक्टर, पाली

जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में बनी हुई है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना नहीं हुई है। चुकि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने नियमानुसार शुल्क जमा करवायी है, जिसके उपरान्त विधिनुसार कार्यवाही की गयी है। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड आबादी में नहीं है, यदि उक्त भूखण्ड में आबादी में नहीं होता तो पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही, टी.पी. रिपोर्ट अथवा किस्म की रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 को बेदखल करने कि कार्यवाही की जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे भी यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा आंबादी भूमि मे ही जारी किया गया है। मिसल की आदेशिकाये यदि कम्प्यूटर से तैयार कि जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 की इसमें कोई गलती नहीं है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्य ग्राम पंचायत के नाम से है अप्रार्थी के नाम से नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी राजनैतिक दैष भावना को दर्शाता है। इसलिये जैर निगरानी खारिज योग्य है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.06.2020 अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 वाली पत्नी नेताराम ने उक्त भूखण्ड का बेचान महेन्द्र कुमार बंजारा को कर दिया है। चूकि वर्तमान में महेन्द्र कुमार जैर निगरानी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उनके हक अधिकार प्रभावित होने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा महेन्द्र कुमार को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की है। अगर न्यायालय द्वारा जैर निगरानी प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार बनाये बगैर किसी भी तरह का निर्णय पारित किया जाता है तो उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना होगी। लिहाजा जैर निगरानी प्रकरण उचित पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण इसी स्तर पर खाजिर योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाकर प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी को निर्णय की सत्यप्रति इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में खरीदकर्ता महेन्द्र कुमार बंजारा पुत्र भैरूलाल बंजारा निवासी 1368 खीमेल रोड वार्ड नं. 4 रानी तहसील रानी जिला पाली को पक्षकार संयोजित कर पुनः निगरानी प्रस्तुत करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली